

Non Encumbrance Certificate

As per meeting held on 21-03-2016 in the chairmanship of A.C.S. Forest, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal has allotted 214.120 hect. land of Sagar Distt. to MPAKVN, Bhopal vide their letter no. F-5-2/2010/10-3/774, dated 26-05-2016 for C.A. in Lieu of denotification of forest land of Mandideep in Distt. Raisen.

Land of Gram: Kharkhari, Tehsil-Kesli, Distt. Sagar, Kahasra No. 1/2, having area 16.500 hect. is transferred to Forest. deptt. by Collector Sagar vide their order no. 54/A-19(3) year/12-13, dated 24-12-2013. C.C.F., Sagar has technically sanctioned plantation scheme and send to D.F.O. Obedullaganj, vide their letter no. 3456 dated 24-06-2016

Collector, Sagar has issued order vide letter dated 03-05-2017 in which it is mentioned that said land has reserved for compensatory A-forestation and said land has transferred & nominated to Forest Department. Presently said land is in the possession of Forest Department.

In consequence of the above the Forest Department, Govt. of M.P., Mantralaya, has issued order vide letter dated 26-05-2016 in which it is also mentioned that said land has reserved for compensatory A-forestation and said land has transferred & nominated to Forest Department. Presently said land is in the possession of Forest Department.


General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क्र. 14अ/19(3) वर्ष 16-17
ग्राम मृगावली, भिलैया, मसवासी ग्रन्ट
मुडेरी, भरदी, खरखरी, सहजपुरी,
बम्होरी, घाना, खमकुआ जिला सागर



:: आदेश ::

(दिनांक 03/05/2017)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञापन क्रमांक-एफ 5-2/2010/10-3/774 भोपाल दिनांक 26.05.16 जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.भोपाल को प्रेषित किया गया में उल्लेख किया गया कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक-एफ 8-06/2008/एफ.सी. दिनांक 12.02.14 से सिंगरोली कोयला क्षेत्र में स्थित महान कोल ब्लॉक से कोयला खनन हेतु मेसर्स महान कोल लिमिटेड के पक्ष में रकबा 967.65 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई थी, जिसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा भी पत्र क्र.-450/499/2014/ 10-3 दि. 05.03.2014 से स्वीकृति जारी की गई।

2- महान कोल लिमिटेड द्वारा सिंगरोली जिले में 967.65 हे. व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सागर जिले में 967.65 हे. गैर वन भूमि उपलब्ध कराई गई। गैर वन भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा यह भूमि वर्तमान में वन विभाग के आधिपत्य में है।

3- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 25.02.16 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी औपचारिक अनुमोदन दिनांक 12.02.14 को वापिस ले लिया गया है। इस प्रकार उक्त योजना निरस्त कर दी गई है।

4- राज्य शासन द्वारा उक्त योजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि 967.65 हे. को निम्नानुसार निम्न विभागों/संस्थाओं को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया गया है :-

क्र	विभाग/संस्था का नाम	रकबा
1	जल संसाधन विभाग को	250.08 हे.
2	एम.पी.ट्राईफेक को (म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के लिये)	214.120 हे.
3	शेष भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को	503.45 हे.
	कुल योग-	967.65 हे.

आवेदक विभागों/संस्थानों द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के संबंध में नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5- मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के ज्ञापन क्र./मा.चि./व्य सागर दि. 23.07.16 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल को प्रेषित किया गया है में 967.65 हे. को निम्नानुसार विभागों को आवंटित किया गया है :-

क्र	विभाग/संस्था का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	खण्ड	रकबा हे.में	आवंटित विभाग
1	वन मंडल उत्तर सागर	मालथौन	मृगावली	1/1	96.00 हे.	जल संसाधन विभाग
2		मालथौन	भिलैया	402/1	30.00 हे.	
3		उत्तर सागर	मसवासी ग्रन्ट	37/2	50.00 हे.	
4	वन मंडल दक्षिण सागर	देवरी	मुडेरी	47/1	47.00 हे.	जल संसाधन विभाग
5		केसली	भरदी	88 (का भाग लिया जावेगा)	14.38 हे.	
6		केसली	खरखरी	1 (का भाग लिया जावेगा)	4.68 हे.	
7		गौरझामर	सहजपुरी	1/2 (का भाग लिया जावेगा)	8.02 हे.	
				योग-	250.08 हे.	
8		केसली	खरखरी	1 (का भाग लिया जावेगा)	16.50 हे.	म.प्र. औद्योगिकी केन्द्र विकास निगम भोपाल
9		केसली	भरदी	61,79,82,85,88(का भाग लिया जावेगा)	90.62 हे.	
10		केसली	बम्होरी	312/1	62.00 हे.	
11		केसली	घाना	411	45.00 हे.	
				योग-	214.12 हे.	
12		गौरझामर	सहजपुरी	1/2 (का भाग लिया जावेगा)	37.45 हे.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल
13		घाना	खमकुआ	595(P), 623	100.00 हे.	
14		घाना	खमकुआ	6,9/1(P), 37	100.00 हे.	
15		घाना	खमकुआ	53/1(P), 58, 595(P)	100.00 हे.	
16		घाना	खमकुआ	104/1(P), 144/1, 415/2	100.00 हे.	
17		घाना	खमकुआ	9/1(P), 53/1(P), 84	66.00 हे.	
				योग-	503.45 हे.	



(Handwritten signature)

परिक्षेत्र केसली के ग्राम भरदी ख0न0 88 कुल रकवा 25.99 हे., ग्राम खरखरी ख0न0 1 कुल रकवा 29.78 हे. तथा परिक्षेत्र गौरझामर के ग्राम सहजपुरी ख0न0 1/2 कुल रकवा 45.47 हे. दो विभागों में उपरोक्त सूची में दर्शित अनुसार आवंटित किया गया है।

6- म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-21/2012/10-3/774 भोपाल दिनांक 26.05.16 में दिये गये निर्देशानुसार तथा मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के ज्ञापन क्रमांक-मा.वि./व्यय सागर दिनांक 23.07.16 के अनुसार रकवा 967.65 हे. को विभागवार आवंटित किया गया है।


अतः पैरा 5 अनुसार आवंटित विभागों को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। तहसीलदार सागर/देवरी/मालथौन/केसली/रहली को आदेश दिये जाते हैं कि आरक्षित भूमि को पटवारी के खसरा पांचसाला के कालम नं. 12 में वन विभाग को वनीकरण हेतु हस्तांतरित के स्थान पर संबंधित विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दर्ज किया जावे एवं कालम नं. 03 में म.प्र.शासन दर्ज किया जावे। कार्यपालन प्रतिवेदन संशोधित खसरा पांचसाला एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित भेजा जावे।

21/1/17

वन संरक्षक/पट्टेन वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर
368/17

4632


पृ0क्र0/ /री0कले0/2017
प्रतिलिपि:-



कलेक्टर
जिला-सागर

सागर दिनांक 3/5/2017

- 1- सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
- 2- सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
- 4- उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल (म.प्र.)
- 5- अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
- 6- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 7- प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल (म.प्र.)
- 8- प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
- 9- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
- 10- मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर मध्यप्रदेश
- 11- अनुविभागीय अधिकारी सागर, देवरी, खुरई, रहली जिला सागर
- 12- वन मण्डल अधिकारी (सा.) वन मण्डल उत्तर/दक्षिण सागर, (म.प्र.)
- 13- तहसीलदार सागर, देवरी, मालथौन, केसली, रहली जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
- 14- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर
- 15- मेसर्स महान कोल लिमिटेड, 489, परिहार हाऊस, माजनखुर्द, माजनमोर, पो.ऑ. कचनी (बिहने) जिला सिंगरीली, पिन- 486886



कलेक्टर
जिला-सागर